सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाई गई नियमावली के अनुरूप कंपनी की अपनी "निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति" है।

कंपनी यथासंभव संकेंद्रित तरीके से क्रियाकलापों की एक श्रृंखला शुरू करके समुदाय, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करती है।

कंपनी उपलब्ध विकल्पों की व्यापक श्रृंखला से सीएसआर परियोजनाओं का चयन करती है, क्षेत्रों (क्षेत्रों) तथा पर्यावरण संधारणीयता पर जोर देते हुए समाज के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए समाज के समावेशी विकास से संबंधित क्रियाकलापों को प्राथमिकता दी जाएगी। उपर्युक्त के अनुरूप, कंपनी उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्धारित क्रियाकलापों के अनुरूप सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों को पूरा करना सुनिश्चित करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च किया जाएगा।

बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ('सीएसआर समिति') का गठन किया जाएगा जिसमें तीन अथवा उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें कम से कम एक निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक होगा। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ–साथ, अनुसूची VII में निर्धारित क्षेत्रों अथवा विषयों में कंपनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, निगमित उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना और किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना, निदेशक बोर्ड की रिपोर्टें आवधिक रूप से प्रस्तुत करना शामिल है।

आरईसी लिमिटेड एक पंजीकृत सोसायटी 'आरईसी फाउंडेशन' के माध्यम से अपने सीएसआर क्रियाकलाप करता है। यह फाउंडेशन शासी निकाय द्वारा शासित होता है जिसमें आरईसी लिमिटेड के अधिकारियों को नामित किया जाता है।

सीएसआर परियोजनाएं:

(i) विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का उन्नयन, चिकित्सा उपस्करों की खरीद और उन्हें चालू करना, दिव्यांगों को सहायता और सहायक उपस्करों का वितरण, ब्लड बैंकों का उन्नयन, सीवेज उपचार संयंत्र और जल उपचार संयंत्र का निर्माण, कैंसर जांच और कैंसर देखभाल सेवाओं का शीघ्र पता लगाने के लिए और इलाज, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, विद्युत शवदाह गृह की स्थापना, गरीब लोगों को भोजन/राशन उपलब्ध कराना, कोविड–19 वैक्सीनों को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन उपकरण प्रदान करना आदि।

(ii) विभिन्न स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा उपस्कर/वस्तुएं प्रदान करना, कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में अपग्रेड करना, प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मोबाइल स्कूल बस के माध्यम से नवीन शिक्षा प्रदान करना, युवाओं में अनुसंधान और योग्यता पैदा करना, कमजोर बच्चों को शिक्षा प्रदान करके उनका पालन–पोषण करना, शिक्षा, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान कर कमजोर बच्चों का पालन–पोषण करना, युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके उनमें कौशलों की वृद्धि करना आदि।

(iii) सिलाई, ब्यूटीशियन, सैनिटरी नैपकिन के निर्माण और उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके किशोर/गृहिणी महिलाओं के कौशल को बढ़ाना, बुजुर्गों की देखभाल के लिए वेलनेस सुविधा के साथ आश्रय गृह का निर्माण, किशोरियों/युवा लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता, नेतृत्व के बारे में शिक्षित करना, जीवन कौशल, लिंग और अधिकार के मुद्दे, आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना, स्वास्थ्य परामर्श आदि।

(iv) विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में रूफटॉप/फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक पैनलों का निर्माण, एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम आदि को चालू करना।

(v) कोविड–19 के कारण होने वाली महामारी से निपटने के लिए प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत (पीएम केयर्स) फंड में अंशदान।

ख्वेंग गांव, मेघालय में एरी–रेशम उत्पादन प्रशिक्षण प्रदान किया

(vi) सूखा संभावित क्षेत्र में किसानों को खरीफ और रबी के मौसम में बीजों का निःशुल्क वितरण, ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान केंद्रित एकीकृत वाटरशेड विकास, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, भोजन और ऊर्जा के अंतिम उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करके समुदाय को शिक्षित करना, चेक डैम, पुलिया, सामुदायिक हॉल, कुओं को गहरा करना, इनडोर स्टेडियम का निर्माण आदि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का अवंसरचना विकास।

(vii) आरईसी संबद्ध क्षेत्रों, स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण में परियोजनाएं चलाती है, प्राथमिक रूप से आकांक्षी जिलों में, अर्थात् ओडिशा में गजपति, मिजोरम में ममित, नागालैंड में किफिर, बिहार में मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, मणिपुर में चंदेल और सिक्किम में पश्चिम सिक्किम में योजनाएं चलाती है।

मिजोरम राज्य में लक्ष्य मानक द्वारा प्रमाणित ममित जिला अस्पताल में पहला लेबर रूम

2. सीएसआर समिति का गठनः

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप, कंपनी ने निदेशकों की सीएसआर समिति का गठन किया है। उसकी संरचना इस प्रकार हैः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की सं.	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1.	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष (12 जून, 2020 से, जिससे पूर्व वे सदस्य थे)	8	8
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष (31 मई, 2020 तक)	1	1
3.	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य (12 जून, 2020 से)	7	7
4.	श्री प्रवीण कुमार सिंह, पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	8	8

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना का विवरण दर्शाने वाला वेब–लिंकः

https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives

4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरणः

22 जनवरी, 2021 से सीएसआर संशोधन नियमावली के अनुसार, उन परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया गया, जिन्होंने एक वर्ष पूरा कर लिया है। मैसर्स केपीएमजी ने प्रभाव आकलन अध्ययन किया। नीचे दी गई तालिका में परियोजनाओं के नाम, परियोजनाओं के प्रभाव के प्रमुख परिणाम दिए गए हैं।

क्रम सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे	परियोजना के प्रभावों के प्रमुख परिणाम
1.	अपैरल प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र द्वारा कार्यान्वित भारत में विभिन्न स्थानों पर कमजोर और सीमांत समुदाय से संबंधित 533 युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1.75 करोड़ रुपये	8 कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित कुल उम्मीदवारों में से प्लेसमेंट दर 89.86% थी। प्लेसमेंट के बाद, उम्मीदवारों को तीन महीने के लिए ट्रैक किया गया था। लाभार्थियों के बीच सामाजिक–आर्थिक संकेतकों में काफी सुधार देखा गया।
2.	एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित मध्यप्रदेश के तीन जिलों में एलईडी आधारित 1600 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए ₹4.80 करोड़	मध्य प्रदेश के 03 जिलों के 425 गांवों में 1600 लाइटें चालू की गईं। मध्यस्थता के कारण CO_2 उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 73.4 टन है। परियोजना की संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए 05 वर्ष तक लाइटों का रखरखाव।
3.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर एलईडी आधारित 420 सोलर स्ट्रीट लाइटों और 145 सोलर हाई मास्ट लाइटों की स्थापना के लिए ₹2.27 करोड़	420 सोलर स्ट्रीट लाइटें और 145 सोलर हाई मास्ट लाइटें चालू की गईं। मध्यस्थता के कारण CO_2 उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 15.8 टन है। परियोजना की संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए 05 वर्ष तक लाइटों का रखरखाव।

क्रम सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे	परियोजना के प्रभावों के प्रमुख परिणाम
4.	आईआईटी मद्रास द्वारा कार्यान्वित, आईआईटी मद्रास के परिसर में 2 एमडब्ल्यूपी रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम के संस्थापन और उसे चालू करने के लिए 9.89 करोड़ रुपये	परिसर में छात्रावासों और शैक्षणिक ब्लॉकों में 2 एमडब्ल्यूपी सौर पीवी पैनल चालू किए गए। मध्यस्थता के कारण CO_2 उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 3,150 टन है, जिससे परिसर में कार्बन फुटप्रिंट कम हुए हैं। कुल विद्युत खपत में 8.7% तक कमी और विद्युत की मांग में 1 एमवीए तक कमी।
5.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर द्वारा कार्यान्वित आईआईएससी, बैंगलोर के परिसर में 279 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम और 2200 एलईडी लाइटों के संस्थापन और उन्हें चालू करने के लिए ₹3.47 करोड़ रुपये	इस परिसर में 279 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी पैनल और 2200 लाइटें चालू की गईं। मध्यस्थता के कारण CO_2 उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 604 टन है, जिससे परिसर में कार्बन फुटप्रिंट्स कम हुए हैं।
6.	इंडो–जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा कार्यान्वित, भारत में विभिन्न स्थानों पर कमजोर और सीमांत समुदाय से संबंधित 1000 युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हुए 2.58 करोड़ रुपए	8 कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित कुल उम्मीदवारों में से, प्लेसमेंट दर 74% थी। प्लेसमेंट के बाद, उम्मीदवारों को तीन से छह महीने तक ट्रैक किया गया। सभी पाठ्यक्रमों में औसत वेतन लगभग 9,691 रुपये प्रति माह था।
7.	एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन द्वारा कार्यान्वित, लातेहार, झारखंड के 33 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को फोर्टिफाइड दूध के वितरण/आपूर्ति के लिए ₹2.34 करोड़	ऊंचाई, दृष्टि आदि जैसे संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार। मध्यस्थता के बाद गंभीर रूप से कम बीएमआई वाले बच्चों की संख्या में 3.3% तक कमी आई है। एनीमिक आबादी 56% तक कम हो गई थी। कार्यक्रम को आगे "पीएम गिफ्टमिल्क योजना" के तहत झारखंड सरकार द्वारा अपनाया गया था।
8.	पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा कार्यान्वित संचार मध्यस्थता *"मैं कुछ भी कर सकती हूं"* के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन और महिला सशक्तिकरण के संदेश को बढ़ाने के लिए ₹10.63 करोड़	9.8 मिलियन दर्शकों की पहुंच के साथ 26 एपिसोड का निर्माण और प्रसारण किया गया। 65.3% गैर–दर्शकों की तुलना में 82.3% दर्शकों को खुले में शौच के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावों के बारे में पता था। इस मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के लिए समय–समय पर उपयोग करने हेतु विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एपिसोड अपलोड किए जाते हैं।
9.	आरईसीपीडीसीएल द्वारा कार्यान्वित, 9 जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग, ओडिशा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 16 आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 5 केडब्ल्यूपी के संस्थापना और उन्हें चालू करने के लिए 1.84 करोड़ रुपये	9 जिलों के 16 स्कूलों में 5 केडब्ल्यूपी सोलर पैनल चालू किए गए। मध्यस्था के कारण CO_2 उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 305.84 टन है। मध्यस्थता से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि छात्रों को नियमित और निरंतर विद्युत की आपूर्ति होती है जो उनके शैक्षिक परिणाम में सहायता देगी।
10.	आरईसीपीडीसीएल द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रपति एस्टेट, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में 508 केडब्ल्यूपी के संस्थापन और उसे चालू करने के लिए ₹2.49 करोड़	राष्ट्रपति एस्टेट के 5 भवनों में 508 केडब्ल्यूपी सौर पैनल चालू किए गए। मध्यस्थता के कारण CO_2 उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 348.32 टन है। संयंत्र से लगभग 0.95 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा के उत्पादन की उम्मीद है।
11.	रिसर्च एंड एक्सटेंशन एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री द्वारा कार्यान्वित आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में परियोजना आधारित शिक्षा के माध्यम से 3000 बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण परिणामों में सुधार के लिए ₹1.24 करोड़।	75 शिक्षण केंद्रों की स्थापना के माध्यम से यह परियोजना 3000 स्कूली बच्चों तक पहुंच गई थी। शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अभिभावकों, समुदाय के नेताओं और छात्रों के बीच शिक्षा एवं परियोजना आधारित शिक्षण के प्रति धारणा और दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। इस परियोजना से अध्यापन और परियोजना आधारित शिक्षण पर स्थानीय समुदाय की 75 महिलाएं प्रशिक्षित हुई हैं और उनका क्षमता निर्माण हुआ है।
12.	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा कार्यान्वित भारत में विभिन्न स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विशेष रूप से विकलांग 2665 व्यक्तियों को सहायता और उपकरण प्रदान करने के लिए ₹1.00 करोड़	लाभार्थी प्राप्त सहायता से संतुष्ट थे और इस मध्यस्थता से उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखने में मदद मिली। इस परियोजना से लाभार्थियों को आत्म–सम्मान, आत्मविश्वास और समाज के उत्पादक सदस्य बनने में मदद मिली है।
13.	ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा कार्यान्वित ओडिशा और झारखंड में 1400 घरों के लिए सौर माइक्रो ग्रिड स्थापित करने हेतु 1.53 करोड़।	1400 घरों को स्वच्छ और सस्ती लाइटें प्रदान करने के लिए 140 सौर माइक्रो ग्रिड चालू किए गए। मध्यस्थता के कारण CO_2 उत्सर्जन में वार्षिक कमी लगभग 6476.24 टन है।
14.	टी–हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वैचारिक अनुसंधान अनुभव के माध्यम से 30 सरकारी संस्थानों में युवा नवोन्मेषकों को बढ़ाने के लिए 3.03 करोड़ रुपये	समाधानोन्मुख विचार, नवाचार, उद्यमिता और नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी संस्थानों से 1800 छात्रों और 150 शिक्षकों को शामिल किया गया। उन्नत परामर्श के माध्यम से 24 शोध पत्र तैयार किए गए थे, टी–हब फाउंडेशन में आदिरूप तैयार करने के लिए 6 परियोजनाओं का चयन किया गया था।

नीचे दी गई तालिका में 14 परियोजनाओं के लिए विभिन्न मानदंडों अर्थात् (i) प्रासंगिकता, (ii) प्रभावशीलता, (iii) दक्षता, (iv) प्रभाव और (v) संधारणीयता पर रेटिंग प्रदान की गई है। अंतिम कॉलम में सभी मापदंडों का योग प्रदान किया गया है। भारित स्कोर का उपयोग तब 6–बिंदु पैमाने को विकसित करने के लिए किया गया था:

85–100% → अत्यंत संतोषजनक
70–84% → संतोषजनक
55–69% → मध्यम संतोषजनक
40–54% → आंशिक संतोषजनक
20–39% → असंतोषजनक
<20% → अत्यंत असंतोषजनक

ओईसीडी मानदंड*	प्रासंगिकता	प्रभावकारिता	दक्षता	प्रभाव	संधारणीयता	कुल
एटीडीसी	एस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
ईईएसएल–एमपी	एस	ईएस	ईएस	एमएस	एमएस	एस
ईईएसएल–यूपी	एमएस	ईएस	ईएस	एमएस	ईएस	एस
आईजीआईएटी	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	एस	ईएस
आईआईएससी	एमएस	ईएस	ईएस	एस	ईएस	ईएस
आईआईटी मद्रास	एमएस	ईएस	ईएस	एस	ईएस	ईएस
एनडीडीबी	एस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
पीएफआई	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
आरईएसीएचए	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	एमएस	ईएस
आरईसीपीडीसीएल– ओडिशा	एमएस	ईएस	ईएस	एमएस	ईएस	एस
आरईसीपीडीसीएल– आरबी	एमएस	ईएस	ईएस	एमएस	ईएस	एस
एसबीएमवीएसएस	एमएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
टीईआरआई	एमएस	ईएस	ईएस	एमएस	ईएस	एस
टी–हब	ईएस	ईएस	ईएस	एस	एमएस	ईएस

*ईएस: अत्यंत संतोषजनक; एस; संतोषजनक; एमएस; मध्यम संतोषजनक; एमएस; आंशिक संतोषजनक

विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives पर उपलब्ध है।

कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए दलवी अस्पताल, पुणे में 1250 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया

मणिपुर के 12 गांवों के लिए मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक वाहन और आपातकालीन एम्बुलेंस प्रदान की गई

5. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु अपेक्षित राशि का विवरण:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (₹ में)
1.	2020–21	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभः ₹7,215.78 करोड़

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशतः ₹144.32 करोड़

(ख) पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों अथवा कार्यकालापों से उत्पन्न अधिशेषः शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित राशिः शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख–7ग): 144.32 करोड़ रुपये

8. क. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अथवा खर्च न की गई सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ करोड़ में)	खर्च न की गई राशि (₹ करोड़ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्धारित किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
144.32	शून्य	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

ख. वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः शून्य

ग. वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं को छोड़कर अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः ₹143.24 करोड़ **(अनुबंध क)**

घ. प्रशासनिक ओवरहैड में खर्च की गई राशिः ₹4.53 करोड़

ङ. प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि शून्य

च. कुल राशि वित्तीय वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ङ) ₹147.77 करोड़

छ. समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि

क्रम सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	144.32
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	147.77
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	3.45
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं अथवा पूर्व वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	3.45

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरणः

क्रम सं.	पूर्व वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्धारित किसी भी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो (₹ करोड़ में)			आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	अंतरण की तारीख	
लागू नहीं							

(ख) पूर्व वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वह वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना चालू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (करोड़ ₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ करोड़ में)	पूर्ण/ चल रही परियोजना की स्थिति
लागू नहीं								

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरणः शून्य

क. परिसंपत्ति के निर्माण की तिथिः लागू नहीं

ख. पूंजीगत परिसंपत्ति के विनिर्माण अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशिः लागू नहीं

ग. कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदिः उपलब्ध नहीं

घ. सृजित अथवा अर्जित (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का विवरण प्रदान करेंः लागू नहीं

11. उन कारणों का उल्लेख करें, जिनके कारण यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रहीः

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अपना सीएसआर बजट पूरी तरह से खर्च किया है।

ह./–
(अजय चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 06629871

ह./–
(संजीव कुमार गुप्ता)
निदेशक (तकनीकी) और
सीएसआर समिति के अध्यक्ष
डीआईएनः 03464342

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका–प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका
				राज्य	जिला			एजेंसी का नाम
1	एसवीएनआईआरटीएआर में संस्थान को 'विकृति सुधार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में स्थापित करने के लिए भवन का निर्माण	स्वास्थ्य	लागू नहीं	उड़ीसा	कटक	3.80	नहीं	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान
2	भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 8000–9000 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण	स्वास्थ्य	लागू नहीं	पूरे भारत में		0.77	नहीं	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
3	कुष्ठ मिशन अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति ब्लॉक का निर्माण और उपकरण प्रदान करके कुष्ठ प्रभावित और अन्य गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु	चम्बा, फैजाबाद, वाडठोरासलूर	1.22	नहीं	कुष्ठ मिशन ट्रस्ट इंडिया
4	भारत में विभिन्न स्थानों पर श्रवण दोष वाले बच्चों को कॉक्लियर इंप्लांट की आपूर्ति और फिटमेंट	स्वास्थ्य	लागू नहीं	पूरे भारत में		1.26	नहीं	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान
5	ब्लड बैंक सह प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण एवं ब्लड बैंक उपकरणों का उन्नयन	स्वास्थ्य	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	अनंतपुरम	0.66	नहीं	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, आंध्र प्रदेश
6	ब्रह्मर्षि मिशन समिति के तहत चल रहे विराट धर्मशाला में गंभीर रूप से बीमार कैंसर रोगियों की सहायता के लिए रेडियोथेरेपी यूनिट का निर्माण	स्वास्थ्य	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	जबलपुर	1.00	नहीं	ब्रह्मर्षि मिशन समिति
7	स्वच्छता कार्य योजना के तहत झुग्गी–झोपड़ी पीने के पानी, स्वच्छता, शौचालय, आईईसी अभियान आदि की सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक झुग्गी को अपनाना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	पूरे भारत में		0.23	हाँ	आरईसी
8	ग्रामीण लड़कियों / किशोरियों महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाना और किफायती सैनिटरी नैपकिन निर्माण के लिए प्रशिक्षण देना।	स्वास्थ्य	लागू नहीं	हरियाणा	पलवल	0.04	नहीं	समाज एवं युवा कल्याण सोसाइटी
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, नवीनीकरण और निर्माण	स्वास्थ्य	लागू नहीं	मिजोरम	ममित	0.52	नहीं	उपायुक्त, ममित
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार	स्वास्थ्य	लागू नहीं	मणिपुर	चंदेल	0.48	नहीं	उपायुक्त, चंदेल

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका–प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका
				राज्य	जिला			एजेंसी का नाम
11	शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोर्टेबल और स्मार्ट मॉडल आंगनवाड़ी के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से संचालित समाधान	स्वास्थ्य	लागू नहीं	बिहार	मुजफ्फरपुर	0.21	नहीं	सेल्को फाउंडेशन
12	एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी), टाटा मेमोरियल सेंटर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	स्वास्थ्य	लागू नहीं	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	2.57	नहीं	टाटा स्मारक केंद्र
13	200 आंगनबाडी केन्द्रों/प्राथमिक विद्यालयों में 200 रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ 500 लीटर ओवरहेड स्टोरेज टैंक और 1 एचपी विद्युत पंप की स्थापना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	बिहार	पूर्णिया	0.40	नहीं	सभी ग्रामीणों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए सोसाइटी
14	12 गांवों के लिए आरईसी – ज़ोडॉन मोबाइल हेल्थ क्लीनिक वैन और आपातकालीन एम्बुलेंस उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	मणिपुर	चुराचांदपुर	0.66	नहीं	उपायुक्त, चुराचांदपुर
15	14 जिलों में कैंसर जांच और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	बिहार	14 जिला	0.09	नहीं	टाटा स्मारक कैंसर अस्पताल
16	भारत में विभिन्न प्रतिष्ठित स्थलों पर 20 वाटर एटीएम मशीनों की स्थापना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	0.19	नहीं	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान
17	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के समुदायों और प्राथमिक विद्यालयों में सभी सेवाओं के लिए पानी, स्वच्छता और सफाई	स्वास्थ्य	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम , गुंटूर, कृष्णा और चित्तूर	0.59	नहीं	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत विकास सोसायटी
18	शवों को ले जाने के लिए 3 शव वाहन की खरीद	स्वास्थ्य	लागू नहीं	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		0.04	नहीं	शहीद भगत सिंह सेवा दल
19	पंजाब में विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 5 वाटर एटीएम मशीन की स्थापना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	पंजाब	–	0.58	नहीं	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
20	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की आपूर्ति के लिए केंद्रीकृत रसोई की परिचालन दक्षता में सुधार के लिए रोलर कन्वेयर सिस्टम की खरीद और स्थापना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	0.62	नहीं	दादरा और नगर हवेली का केंद्र शासित प्रशासन
21	100 हैंडपंपों की स्थापना और तालाब की खुदाई	स्वास्थ्य	लागू नहीं	बिहार		0.36	नहीं	पर्यावरण केयर सोसाइटी
22	विद्युत शवदाह गृह की स्थापना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	0.39	नहीं	जिलाधिकारी, गाजियाबाद
23	रुद्रपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज पंडित राम सुमेर शुक्ल स्मृति के बुनियादी ढांचे का विकास	स्वास्थ्य	लागू नहीं	उत्तराखंड	रुद्रपुर, उधम सिंह नगर	10.91	नहीं	जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर
24	कोरोना वायरस महामारी कोविड–19 के प्रकोप से निपटने के लिए लॉकडाउन के कारण निर्माण/सब स्टेशनों में लगे प्रवासी मजदूरों/परिवार के सदस्यों, गरीब लोगों, दिहाड़ी मजदूरों आदि को भोजन उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	पूरे भारत में		6.93	हाँ	आरईसी

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका–प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका
				राज्य	जिला			एजेंसी का नाम
25	कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोल्ड चेन उपकरण (सीसीई) की खरीद	स्वास्थ्य	लागू नहीं	दादरा और नगर हवेली, नागालैंड और पश्चिम बंगाल	–	0.73	हाँ	आरईसी
26	किचन, डाइनिंग हॉल और स्टोर रूम का निर्माण और सरकारी उच्च विद्यालयों में 12 आरओ प्लांट की स्थापना	स्वास्थ्य	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	कडप्पा	1.34	नहीं	जिलाधिकारी, कडप्पा
27	एसएसएमआई स्कूल में बुनियादी ढांचे का विकास	शिक्षा	लागू नहीं	दिल्ली	नई दिल्ली	1.65	नहीं	स्वामी शिवानंद मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स
28	25 विद्यालयों में आरईसी सत्यनिष्ठा क्लबों की स्थापना	शिक्षा	लागू नहीं	पूरे भारत में		0.05	हाँ	आरईसी
29	दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षण सहायता, ढांचागत विकास आदि प्रदान करके समग्र शिक्षा और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।	शिक्षा	लागू नहीं	दिल्ली	नई दिल्ली	0.29	नहीं	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड
30	1800 छात्रों और 150 शिक्षकों के लिए वैचारिक अनुसंधान अनुभव के माध्यम से युवा नवोन्मेषकों को बढ़ावा देना	शिक्षा	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	–	0.81	नहीं	आईआईटी कानपुर
31	प्रोजेक्टर, पानी की सुविधा, फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड और मार्कर, स्कूलों और छात्रावासों में बुनियादी ढांचे का समर्थन, विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुधार आदि प्रदान करके स्कूली शिक्षा को बदलना।	शिक्षा	लागू नहीं	मणिपुर	चंदेल	0.74	नहीं	उपायुक्त, चंदेल
32	सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में रसोई सह भोजन कक्ष का निर्माण	शिक्षा	लागू नहीं	केरल	कन्नूर	0.81	नहीं	जिला पंचायत, कन्नूर
33	सरकारी स्कूलों में उपकरण, शिक्षक प्रशिक्षण, महिला साक्षरता बढ़ाना, पेयजल उपलब्ध कराना आदि के द्वारा स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना।	शिक्षा	लागू नहीं	मिजोरम	ममित	0.07	नहीं	उपायुक्त, ममित
34	1100 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण	शिक्षा	लागू नहीं	पूरे भारत में		1.03	नहीं	परिधान प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्र
35	जगरमुंडा में हाई स्कूल भवन (जी1) का निर्माण, पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल में 18 पावर इन्वर्टर उपलब्ध कराना, जिला अस्पताल में रीजेंट के साथ हेमेटोलॉजी एनालाइजर–सीबीएस प्रदान करना और सीएचसी और जिला अस्पताल में 05 श्रेडर मशीन की खरीद।	शिक्षा	लागू नहीं	छत्तीसगढ़	सुकमा	0.52	नहीं	जिला कलेक्टर, सुकमा
36	आदिवासी बच्चों के लिए पुरुष छात्रावास (दूसरी मंजिल) का निर्माण और 150 आवासीय लड़कियों को पढ़ाई, भोजन के लिए अन्य बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल	देवास और 24 परगना	0.57	नहीं	परिवार एजुकेशन सोसाइटी

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका–प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका
				राज्य	जिला			एजेंसी का नाम
37	दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र (तीसरी मंजिल) की स्थापना और उसके गेट एवं खेल के मैदान के साथ चारदीवारी	शिक्षा	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	1.20	नहीं	चेतना हिमाचल प्रदेश
38	05 जिलों में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए 10,000 उम्मीदवारों को कोचिंग प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	हरियाणा	अंबाला, झज्जर, जींद, कैथल और यमुना नगर	0.48	नहीं	हरियाणा सीएसआर अकादमी
39	विभिन्न स्लम बस्तियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के 462 वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अभिनव मोबाइल स्कूल	शिक्षा	लागू नहीं	हरियाणा	गुरुग्राम	0.19	नहीं	ऑल इंडिया सिटीजन्स अलायन्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवेलोपमेंट
40	1000 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	0.62	नहीं	मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस
41	1800 बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	मणिपुर, बिहार और उत्तराखंड	चंदेल, मुजफ्फरपुर, उधम सिंह नगर	0.78	नहीं	टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट
42	सरकारी स्कूलों के लिए 07 विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण, 60 कक्षाओं को डिजिटल कक्षाओं में बदलना और सरकारी स्कूलों में 43 आरओ सिस्टम की स्थापना	शिक्षा	लागू नहीं	तेलंगाना	सिकंदराबाद, हैदराबाद	0.84	नहीं	जिला कलेक्टर, हैदराबाद
43	500 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु उपकरण किट का वितरण करना।	शिक्षा	लागू नहीं	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	0.29	नहीं	राजुरेश्वर गणेश बहुदेशीय सेवाभावी संस्था
44	प्रदर्शन वैन और स्मार्ट शिक्षण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार	शिक्षा	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश	चंबा	0.40	नहीं	उपायुक्त, चंबा
45	रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	शिक्षा	लागू नहीं	बिहार, ओडिशा, झारखंड आदि सहित पूर्वी और मध्य भारत	–	0.51	नहीं	राष्ट्रीय कौशल विकास कोषध्राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
46	जम्मू और कश्मीर में हिंसा प्रभावित बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए सहायता	शिक्षा	लागू नहीं	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	0.47	नहीं	सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन
47	1650 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण ा(आवासीय)	शिक्षा	लागू नहीं	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश	–	0.87	नहीं	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
48	1300 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण	शिक्षा	लागू नहीं	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	0.44	नहीं	महिला आश्रम मुवानी
49	880 महिलाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण	शिक्षा	लागू नहीं	पंजाब, उत्तर प्रदेश	गुरदासपुर और गाजियाबाद	0.28	नहीं	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका–प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका
				राज्य	जिला			एजेंसी का नाम
50	1000 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) कार्यक्रम	शिक्षा	लागू नहीं	पूरे भारत में		1.18	नहीं	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
51	500 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय)	शिक्षा	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड	–	0.73	नहीं	अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर संस्थान
52	शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी उच्च विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम (वीसीआर) की स्थापना	शिक्षा	लागू नहीं	कर्नाटक	उत्तर कन्नड, तुमकुरु, चिकमगलूर, कोडागु, चामराजनगर, उडुपी, मांड्या, बेल्लारी, बागलकोट,विजयपुरा	0.29	नहीं	कर्नाटक राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद
53	300 आदिवासी बच्चों को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	उड़ीसा	भुवनेश्वर	0.23	नहीं	कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान
54	जैव संसाधनों का संरक्षण और सतत प्रबंधन	पर्यावरण	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	–	0.09	नहीं	आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड
55	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 1 मेगावाट की एसपीवी प्रणाली की स्थापना	पर्यावरण	लागू नहीं	तमिलनाडु	मदुरै	2.02	नहीं	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय
56	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट की एसपीवी प्रणाली की स्थापना	पर्यावरण	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	6.61	नहीं	आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम
57	84 गांवों में एलईडी आधारित 500 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	पर्यावरण	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	0.59	नहीं	जिलाधिकारी, पीलीभीत
58	खराब विद्युतीकृत क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख सोलर लालटेन का वितरण	पर्यावरण	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा	–	0.40	नहीं	भारतीय सौर ऊर्जा निगम
59	बेयरफुट कॉलेज, तिलोनिया परिसर में विभिन्न स्थानों पर गैर–कार्यात्मक पुराने ढांचे को बदलना और 135 केडब्ल्यूपी ऑफ–ग्रिड सोलर संयंत्र (बैटरी के साथ) स्थापित करना।	पर्यावरण	लागू नहीं	राजस्थान	बेयरफुट कॉलेज, तिलोनिया (एसडब्ल्यूआरसी)	0.66	नहीं	सामाजिक कार्य और अनुसंधान केंद्र
60	आईआईएम, तिरुचिरापल्ली परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट एसपीवी प्रणाली की स्थापना	पर्यावरण	लागू नहीं	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली	3.49	नहीं	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली
61	रूफ–टॉप एसपीवी प्लांट की स्थापना, रैबिट कंडक्टर को इन्सुलेशन प्रदान करना और 10 आवासीय सरकारी स्कूलों में ई–लर्निंग केंद्रों की स्थापना	पर्यावरण	लागू नहीं	कर्नाटक	–	3.26	नहीं	कर्नाटक रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी
62	शहीद ऊधम सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज की छत पर 283 किलोवॉट सोलर पीवी सिस्टम की स्थापना	पर्यावरण	लागू नहीं	पंजाब	शहीद ऊधम सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, फिरोजपुर	0.49	नहीं	शहीद उधम सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी, फिरोजपुर

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका–प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका
				राज्य	जिला			एजेंसी का नाम
63	वृद्धजनों की देखभाल के लिए आरोग्य सुविधा (60 सीटर) के साथ आश्रय गृह का निर्माण	वृध्दावस्था	लागू नहीं	लद्दाख	लेह	0.65	नहीं	हेल्पेज इंडिया
64	पीएम केयर्स फंड में योगदान	पीएम केयर	लागू नहीं	पूरे भारत में		50.00	नहीं	भारत सरकार
65	ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए कृषक केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	महबूबनगर और अनंतपुर	2.93	नहीं	अंतरराष्ट्रीय अर्ध – शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान
66	कुओं को गहरा करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, चेक डैम का जीर्णोद्धार एवं निर्माण और चिकित्सा शिविरों का आयोजन	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	राजस्थान	उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़	0.22	नहीं	राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद
67	समुदायों के आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, भोजन और ऊर्जा के इष्टतम उपयोग के लिए सामुदायिक विकास जागरूकता कार्यक्रम	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	मेघालय और नागालैंड	–	5.02	नहीं	नॉर्थ ईस्ट स्लो फूड एंड एग्रोबायोडायवर्सिटी सोसाइटी
68	ग्रामीण विकास कार्य जैसे विवाहः सामुदायिक भवन, पीसीसी रोड, नाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यात्री शेड का निर्माण, स्वच्छता सुविधा प्रदान करना, एलईडी लाइट्स, आरओ प्लांट आदि की स्थापना।	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	बिहार	भोजपुर	0.24	नहीं	एनएचपीसी
69	सरस्वती प्लाजा के नीचे प्रशासनिक कार्यालयों और अस्पताल का निर्माण , सरस्वती के किनारे और मंदिर की गली के बीच ढांचागत विकास, मरम्मत और केदारनाथ शहर और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न कुंड का विकास संबंधी कार्य	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	उत्तराखंड	केदारनाथ	9.41	नहीं	श्री केदारनाथ उत्थान चौरिटेबल ट्रस्ट
70	औरंगाबाद जिले के सूखा ग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले 5000 किसानों को बीज का वितरण	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	0.11	नहीं	विश्वसिंधु बहुदेशीय सेवा भावी संस्थित
71	औरंगाबाद जिले के सूखा ग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले 10000 किसानों को बीज का वितरण	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	4.10	नहीं	विश्वसिंधु बहुदेशीय सेवा भावी संस्थित
	कुल संवितरण					143.14		
72	प्रशासनिक ऊपरी खर्चे					4.53		
	वर्ष 2020–21 के दौरान खर्च कुल सीएसआर					147.77		